

File No.SECR-NGP0PERS(GAEC)/27/2024-O/o Sr.DPO/NGP/SECR

18	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	4	2	1	3	1	11	0	1
19	केबल जाँइनटेर	8	3	2	6	2	21	1	2
20	डिजिटल फोटोग्राफर	1	0	0	1	0	2	0	0
21	ड्राइवर कम मेकॅनिक (लाइट मोटर वेहीकल)	1	0	0	1	0	2	0	0
22	मेकॅनिक मशिन टूल्स मैटेनेंस	9	4	2	6	2	23	1	2
23	मेशन (बिल्डिंग कनस्ट्रक्टर)	7	2	1	4	2	16	1	2
	Total/ कुल	394	148	72	266	97	977	39	97

ब) मोतीबाग वर्कशॉप, नागपुर (**Establishment Code: E05202702494**)

Sr. No.	Trade	No. of Slots						PH	Ex. Serv.
		UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL		
1	फ़िटर	18	7	3	12	4	44	2	4
2	वेल्डर	2	1	0	2	1	6	0	1
3	कारपेंटर	4	2	1	2	1	10	0	1
4	पेंटर	2	1	0	1	0	4	0	0
5	टर्नर	2	1	0	1	0	4	0	0
6	स्टेनोग्राफर (इंग्लिश) सेक्रेटरिअल अस्सिस्टंट	1	1	0	1	0	3	0	0
7	इलेक्ट्रिशियन	7	3	1	5	2	18	1	2
8	कोपा	5	2	1	4	1	13	1	1
	Total / कुल	41	18	6	28	9	102	4	9

नोट :- यदि आवश्यक हो तो, प्रशासन के विवेक से उपरोक्त रिक्तियों को बढ़ाया /घटाया जा सकता है

2. पात्रता शर्तें :

2.1 उम्मीदवार की आयु दिनांक - **19-05-2026** को 15 वर्ष से 24 वर्ष, या 24 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एससी/एसटी उम्मीदवार के लिए ऊपरी आयु में छूट 5 वर्ष, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष और दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष है।

2.2 भूतपूर्व सैनिक जो इस कोटे के तहत पहले ही सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं के अलावा ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को, जिन्होंने रक्षा बलों में सेवा प्रदान की है, ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त 10 वर्षों की छूट दी जाएगी और अतिरिक्त 03 वर्षों की छूट प्रदान की जाएगी बशर्ते उन्होंने एक बार में 6 महिनों की लगातार सेवा की हो। हालांकि, यदि उपलब्ध हो तो, श्रेणी की परवाह किए बिना, भूतपूर्व सैनिकों को भूतपूर्व सैनिक कोटा के तहत लिया जाएगा। यदि, सामान्य कोटि में रिक्तियाँ उपलब्ध न होने पर केवल उन विशेष समुदायों से संबंधित भूतपूर्व सैनिक जिनकी रिक्तियाँ उपलब्ध हैं, भूतपूर्व सैनिकों के कोटा के अंतर्गत विचार किया जाएगा।

2.3 समुदाय के अनुसार जन्म तिथि निचे दी गई है।

क्रम.सं.	समुदाय	अभ्यर्थी का जन्म निम्नलिखित दिनांक के बीच हुआ हो
1	अनारक्षित	19.05.2002 to 19.05.2011
2	अन्य पिछडा वर्ग	19.05.1999 to 19.05.2011
3	अनुसूचित जाति/जनजाति	19.05.1997 to 19.05.2011
4	दिव्यांग / भूतपूर्व सैनिक	19.05.1992 to 19.05.2011

3. **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :**

3.1 उम्मीदवार को न्यूनतम 50 % अंको के साथ मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।

3.2 नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा जारी अधिसूचित ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग/स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा जारी प्रोविजनल सर्टिफिकेट। उम्मीदवार को पोर्टल पर योग्यता अनुभाग में अपने 10 वीं और आईटीआई अंक भरने होंगे; अन्यथा उनका आवेदन स्वतः ही निरस्त कर दिया जायेगा। अन्य कोई उच्च योग्यता न भरें।

4. **चयन प्रणाली / (चयन का तरीका)**

4.1 चयन अधिसूचना के तहत आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के संबंध में तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर होगा। मेरिट सूची मैट्रिक में अंकों के प्रतिशत [न्यूनतम 50% (कुल) अंकों के साथ] और जिस ट्रेड में अप्रेंटिसशिप की जानी है उसमें आईटीआई अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आंध्र प्रदेश, सार्वजनिक परीक्षा बोर्ड, केरल इत्यादि के उम्मीदवारों के एसएससी के अंकों के प्रतिशत की गणना हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल द्वारा उम्मीदवारों के प्रासांक ग्रेड के मध्य बिंदु लिए जाएंगे। उम्मीदवार द्वारा दिए गए सभी विषयों में प्राप्त ग्रेड के मध्य बिंदुओं को प्राप्त करने के बाद, औसत गणना की जाएगी। औसत का आकलन प्रत्येक विषय को अधिकतम 100 अंकों का मानकर किया जाएगा क्योंकि इस तरह के बोर्डों के लिए मैट्रिक के औसत की गणना के लिए कोई मानक विधि या गुणक नहीं है।

4.2 यदि, दो उम्मीदवार एक जैसे अंक प्राप्त करते हैं तो उम्र में बड़े उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि दोनों की जन्म तारीखें एक समान हैं, तो जो उम्मीदवार पहले मैट्रिक परीक्षा पास करता है उसका पहले विचार किया जाएगा।

4.3 शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार सभी मूल प्रमाणपत्रों के सत्यापन तथा वर्कशॉप एवं डिजीवन की अन्य इकाइयों के लिए लागू रेलवे की उचित मेडिकल परीक्षा में फिट पाए गए हों।

4.4 ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के दौरान प्रत्येक आवेदक को एक पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया/पत्राचार के अगले चरण के लिए अपने पंजीकरण संख्या को सुरक्षित/नोट करके रखें।

5. उम्मीदवारों को नागपुर मंडल या मोतीबाग वर्कशॉप का विकल्प चुनना होगा।

- 1) नागपुर मंडल
- 2) मोतीबाग वर्कशॉप, नागपुर

6. **प्रशिक्षण एवं स्टायपेंड / (वजीफा)**

6.1 प्रशिक्षण कर रहे उम्मीदवार निर्धारित दर के अनुसार स्टायपेंड के लिए पात्र होंगे।

प्रशिक्षण की अवधि केवल 1 (एक) वर्ष होगी।

6.2

7. **मेडिकल फिटनेस (Fitness)**

चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 और प्रशिक्षुता नियम 1992 (समय-समय पर संशोधित) के पैरा 4 के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा में जॉइनिंग के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र लाने की सलाह दी जा सकती है। सरकारी अधिकृत डॉक्टर (गजेटेड) द्वारा हस्ताक्षरित चिकित्सा प्रमाण पत्र। सहायक पद से नीचे नहीं। केन्द्रीय/राज्य अस्पताल के सर्जन।

File No.SECR-NGP0PERS(GAEC)/27/2024-O/o Sr.DPO/NGP/SECR

8. भूतपूर्व सैनिक:

8.1 उनके लिए प्रदान किए गए 10% आरक्षण के तहत चयनित भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को उचित श्रेणी में रखा जाना है। यूआर/एससी/एसटी/ओबीसी जिससे वे संबंधित हैं। पूर्व सैनिकों, उनके बच्चों और सशस्त्र बल कर्मियों के बच्चों का आरक्षण नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार होगा :-

- मृत/विकलांग पूर्व सैनिकों के बच्चे, जिनमें शांतिकाल के दौरान मारे गए/विकलांग लोग भी शामिल हैं।
- भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे
- सेवारत अधिकारी के बच्चे
- भूतपूर्व सैनिक
- सेवारत जवानों के बच्चे।

8.2 जो उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिकों और सशस्त्र बलों के कर्मियों के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें निर्वहन प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिकों और सशस्त्र बलों के कर्मियों के बच्चों के मामले में, उनके माता-पिता का निर्वहन प्रमाण पत्र या सशस्त्र सेना के अनुप्रमाणन प्रमाणपत्र दस्तावेज (जैसा भी मामला हो) सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

9. दिव्यांग (PWBD) व्यक्तियों के लिए फिटनेस के मानक:

दिव्यांग (PWBD), जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (यानी, केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड जिसमें विकलांगता के मूल्यांकन के लिए विशेष क्षेत्र का एक विशेषज्ञ)। विकलांगता प्रमाण पत्र अनुबंध- III / IV / V / VI संलग्न के अनुसार ही होना चाहिए।

10. आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक:

पूर्ण रूप से भरे गए ऑन लाइन आवेदन को केवल ऑनलाइन प्रक्रिया से दिनांक **19.05.2026 से 18.06.2026 (23.59 बजे तक)** ।

11. प्रशिक्षण का अनुबंध:

11.1 नामित ट्रेड में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण शुरू करने से पहले, चयनित उम्मीदवार को निम्नलिखित प्रावधानों के साथ अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण का अनुबंध करना होगा :

11.2 जहां अप्रेंटिसशिप का अनुबंध, नियोक्ता द्वारा अनुबंध की शर्तों (जैसे अप्रेंटिसशिप नियम 1992 के तहत अधिसूचित) को पूरा न कर पाने की वजह से समाप्त होता है, उम्मीदवार को निर्धारित मुआवजे के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

11.3 जहां अप्रेंटिसशिप का अनुबंध, उम्मीदवार द्वारा अनुबंध की शर्तों (जैसे अप्रेंटिसशिप नियम 1992 के तहत अधिसूचित) को पूरा न कर पाने की वजह से समाप्त होता है, उम्मीदवार को जमानती राशि का भुगतान करना होगा जो प्रशिक्षु सलाहकार द्वारा प्रशिक्षण की लागत के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

11.4 नियोक्ता की ओर से अपने प्रतिष्ठान में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि पूरी होने पर उत्तीर्ण ट्रेड प्रशिक्षु को किसी भी रोजगार की पेशकश करना अनिवार्य नहीं है और न ही प्रशिक्षु की ओर से नियोक्ता के तहत रोजगार स्वीकार करना अनिवार्य होगा।

11.5 यदि चयनित उम्मीदवार नाबालिग है, तो उसके संरक्षक को नियोक्ता के साथ अप्रेंटिसशिप का अनुबंध करना होगा।

12. महत्वपूर्ण सामान्य निर्देश :

12.1 आवेदन केवल निम्नलिखित वेबसाइट के माध्यम से ही करें, वेबसाइट का पता- <https://www.apprenticeshipindia.gov.in> (**Establishment Code: E05202702695**)

File No.SECR-NGP0PERS(GAEC)/27/2024-O/o Sr.DPO/NGP/SECR

- 12.2 एनएपीएस पोर्टल (<https://www.apprenticeshipindia.gov.in>) पर फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी को आईटीआई के अंक और 10 वीं के अंक सावधानीपूर्वक भरने होंगे, यदि डाउनलोड की गई एक्सेल फाइल में आईटीआई के अंक और 10 वीं के अंक नहीं दिखेंगे तो अभ्यर्थी को **अस्वीकार** कर दिया जाएगा।
- 12.3 आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पात्रता और अन्य मानदंडों को पूरा करता है। यदि इंजेजमेंट गलती से हुआ है, तो ऐसे उम्मीदवारों को किसी भी समय नोटिस के बिना किसी भी स्तर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- 12.4 उम्मीदवार यदि सत्यापन के लिए आवश्यक मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है या कोई अन्य विसंगति पाई जाती है तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा।
- 12.5 यदि रेलवे प्रशासन द्वारा यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने गलत/नकली प्रमाणपत्र/झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, रेलवे प्रशासन किसी भी स्तर पर उम्मीदवार/चयनित उम्मीदवारों को बिना किसी सूचना के निर्वहन का अधिकार सुरक्षित रखता है, यहां तक कि प्रशिक्षण के उनके चयन के बाद भी। इसके अलावा, वे दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।
- 12.6 रेलवे प्रशासन किसी भी उम्मीदवार जिनका चयन नहीं हुआ है या जिन्हें बुलाया नहीं गया है, को जवाब भेजने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। इस कार्यालय द्वारा, जमा किए गए आवेदन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन को जवाब नहीं दिया जाएगा।
- 12.7 इंजीनियरिंग स्नातक और डिप्लोमा धारक इस अधिसूचना के जवाब में शिक्षता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि वे प्रशिक्षु की एक अलग योजना द्वारा शासित हैं।
- 12.8 दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को कोई दैनिक भत्ता / वाहन भत्ता या यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।
- 12.9 इंजेजमेंट के लिए चयन के बाद, डिवीजन / यूनिट को बदलने के लिए उम्मीदवार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 12.10 प्रशिक्षुओं के लिए रेलवे द्वारा कोई आवास प्रदान नहीं किया जाएगा उन्हें अपनी स्वयं की व्यवस्था करना होगा।
- 12.11 तथापि पात्र उम्मीदवारों की अंतिम सूची को अंतिम रूप देने के लिए अत्यंत सावधानी बरती जाएगी, किसी भी निरीक्षण के मामले में प्रशासन को किसी भी स्तर पर परिवर्तन करने का अधिकार है और प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा।
- 12.12 पीसीपीओ/एसईसीआर के पत्र संख्या पी-एचक्यू/आरयूएल/101/10(ई-50910) दिनांक के अनुसार। 13/02/2024 पैरा (5) में, अनारक्षित पद/कोटा के लिए, एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/अनारक्षित से संबंधित किसी भी उम्मीदवार को योग्यता के अनुसार चुना जाता है, तदनुसार एससी/एसटी/ओबीसी/अनारक्षित जो भी उपलब्ध हो योग्यता रिक्त ईडब्ल्यूएस आरक्षित पद/कोटा के विरुद्ध लगाई जा सकती है।
- 12.13 यदि पोर्टल पर ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिक का विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो अपनी वास्तविक श्रेणी (जैसे- अनारक्षित, ओबीसी, एससी, एसटी) से पोर्टल पर आवेदन करें और ईडब्ल्यूएस/पूर्व सैनिक प्रमाण पत्र भौतिक रूप से भेजें/जमा करें। इस कार्यालय में।
- 12.14 **आयु में झूट नवीनतम जाति प्रमाण पत्र (केंद्रीय प्रारूप में) जमा करने पर निर्भर है केवल (ओबीसी) उम्मीदवारों के लिए।**
आयु में झूट जाति प्रमाण पत्र (केंद्रीय प्रारूप में) जमा करने पर निर्भर है केवल (अनुसूचित जाति/जनजाति) उम्मीदवारों के लिए।
- 12.15 जिन अभ्यर्थियों ने इससे पूर्व किसी संगठन में अप्रिंटीसशिप की है, उन्हें अप्रिंटीसशिप के लिये दोबारा आवेदन नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा कोई उम्मीदवार पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जायेगा।

13

सहायता हेतु :

अधिक जानकारी के लिए सोमवार से शुक्रवार के मध्य कार्यालयीन दिवस में प्रातः 10: 00 से संध्या 17: 30 तक के मध्य संपर्क किया जा सकता है। संपर्क मेल :- mohd.2305@gov.in, कार्यालय का पता :- मंडल कार्यालय, कार्मिक विभाग, किंग्सवे नागपुर - 440001।

टिप्पणी: किसी संशय/विरोधाभास की स्थिति में अधिसूचना की अंग्रेजी प्रारूप ही मान्य होगा।

Digitally Signed by Rajesh Prasad

Date: 18-05-2026 12:22:13

(राजेश प्रसाद)
Reason: Approved

सहायक कार्मिक अधिकारी-III

कृते वरि.मंडल कार्मिक अधिकारी

द.पू.म.रेलवे/नागपुर

दिनांक : 18.05.2026

No. P/NGP/SAS/2024/16

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1) जिला रोजगार अधिकारी - नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, राजनांदगाँव, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी से अनुरोध है कि योग्य उम्मीदवारों से आग्रह करें कि वे इस कार्यालय की वेबसाइट <https://www.apprenticeshipindia.gov.in> के माध्यम से आवेदन करें।
- 2) प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी - सूचनार्थ।
- 3) मुख्य कारखाना प्रबंधक/मोतीबाग कारखाना।
- 4) मंडल समन्वयक - द.पू.म.रे.मजदूर काँग्रेस, नागपुर।
- 5) मंडल सचिव, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अ.जा/अ.ज.जा रेल कर्मचारी संघ/नागपुर मंडल।
- 6) जन संपर्क अधिकारी, द.पू.म.रेलवे, नागपुर।
- 7) सूचना पटल।

कृते वरि.मंडल कार्मिक अधिकारी

द.पू.म.रेलवे/नागपुर



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway
मंडल कार्यालय, Divisional Office,
कार्मिक विभाग, Personnel Department,
किंग्सवे, नागपुर, Kingsway, Nagpur-440001

P/NGP/SAS/2024/16

Date: 18.05.2026

**NOTIFICATION**

Sub :- Engagement of Act Apprentices under the Apprentices Act 1961 and Apprenticeship Rule 1992 in Nagpur Division & Workshop Motibagh of South East Central Railway for the year 2026-27.

- Online application through the website: <https://www.apprenticeshipindia.gov.in> from **19.05.2026 to 18.06.2026 (till 23.59 hrs)** are invited from the eligible candidates for engagement as Trade Apprentices under Apprentices Act 1961 and Apprenticeship Rule 1992 in Nagpur Division & Workshop Motibagh/Nagpur of South East Central Railway against the following designated trades:

(i) For Nagpur Division (Establishment Code: E05202702695)

Sl. No.	Trades	No. of Slots						PH	Ex. Serv.
		UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL		
1	Fitter	36	14	7	24	9	90	4	9
2	Carpenter	17	6	3	11	4	41	2	4
3	Welder	9	3	2	6	2	22	1	2
4	COPA	63	24	12	43	16	158	6	16
5	Electrician	107	40	20	73	27	267	11	27
6	Stenographer(English)/ Secretarial Assistant	10	4	2	7	2	25	1	2
7	Plumber	14	5	2	9	3	33	1	3
8	Painter	18	7	3	12	4	44	2	4
9	Wireman	19	7	3	12	5	46	2	5
10	Electronics Mechanic	8	3	2	6	2	21	1	2
11	Mechanic Diesel	50	19	9	34	12	124	5	12
12	Machinist	7	2	1	5	2	17	0	2
13	Turner	2	1	0	1	1	5	0	1
14	Dental Laboratory Technician	1	0	0	0	0	1	0	0
15	Hospital waste management Technician	1	1	0	1	0	3	0	0
16	Health Sanitary Inspector	2	1	0	1	1	5	0	1
17	Gas Cutter	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Stenographer(Hindi)	4	2	1	3	1	11	0	1
19	Cable Jinter	8	3	2	6	2	21	1	2
20	Digital Photographer	1	0	0	1	0	2	0	0
21	Driver - cum -Mechanic (Light Motor Vehicle)	1	0	0	1	0	2	0	0
22	Mechanic Machine Tool Maintenance	9	4	2	6	2	23	1	2
23	Mason	7	2	1	4	2	16	1	2
	Total	394	148	72	266	97	977	39	97

File No.SECR-NGP0PERS(GAEC)/27/2024-O/o Sr.DPO/NGP/SECR

(ii) For Workshop Motibagh :(Establishment Code: E05202702494)

Sl. No.	Trades	No. of Slots						PH	Ex. Serv.
		UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL		
1	Fitter	18	7	3	12	4	44	2	4
2	Welder	2	1	0	2	1	6	0	1
3	Carpenter	4	2	1	2	1	10	0	1
4	Painter	2	1	0	1	0	4	0	0
5	Turner	2	1	0	1	0	4	0	0
6	Steno (English) Secretarial Practice	1	1	0	1	0	3	0	0
7	Electrician	7	3	1	5	2	18	1	2
8	COPA	5	2	1	4	1	13	1	1
	Total	41	18	6	28	9	102	4	9

Note: Vacancies above may be increased/decreased with the discretion of administration, if necessary.

2. ELIGIBILITY CONDITIONS

2.1 Age as on 19.05.2026 = Minimum 15 years.

Maximum 24 Years.

(Upper age relaxation for SC/ST candidate is 5 years , for OBC candidates 3 years and for Divyang (PWBD) & Ex-Servicemen candidates 10 years).

2.2 Upper age limit is relaxable by up to additional 10 years for ex-servicemen to the extent of service rendered in Defense Forces plus 03 years provided they have put in a minimum of 6 months service at a stretch, except Ex-servicemen who have already joined the Govt. service on Civil side after availing the servicemen status for the purpose of their engagement. However, regardless of community, Ex-servicemen will be considered against the Ex-servicemen quota, if available. If UR vacancies are not available then only Ex-Serviceman belonging to those particular communities where vacancies are available will be considered against the Ex-Servicemen quota.

2.3 The date of birth community wise is furnished below:

Sl. No.	Community	Candidate should be born between
1	UR	19.05.2002 to 19.05.2011
2	OBC	19.05.1999 to 19.05.2011
3	SC/ST	19.05.1997 to 19.05.2011
4	PWBD/Ex-Serviceman	19.05.1992 to 19.05.2011

MINIMUM EDUCATIONAL QUALIFICATION

3.1 Matriculation passed or equivalent with minimum 50% marks.

3.2 National Trade Certificate (ITI) in the notified trade issued by the National Council for Vocational Training or Provisional Certificate issued by National Council for Vocational Training / State Council for Vocational Training. The candidate must fill their 10th & ITI marks on the portal in qualification section, otherwise their application will be **automatically rejected**. **Do not fill any other higher qualification.**

File No.SECR-NGP0PERS(GAEC)/27/2024-O/o Sr.DPO/NGP/SECR

4. MODE OF SELECTION:

4.1 Selection will be on the basis of merit list prepared in respect of all the candidates who apply against the notification. The merit list will be prepared on the basis of percentage of marks in matriculation [with minimum 50% (aggregate) marks] plus ITI marks in the trade in which Apprenticeship is to be done.

For the purpose of calculation of percentage of marks of SSC of candidates from Board of Secondary Education Andhra Pradesh, Board of Public Examination, Kerala etc. Nagpur division of SECR will take midpoint of range of grades obtained by the candidates. After obtaining midpoints of all the attempted subjects according to grades awarded, average will be calculated treating each subject is out of 100 marks, as there is no standard method or multiplying factor for calculation of average of matriculation for such Boards.

4.2 In case of two candidates having the same marks, the candidates with older age shall be preferred. In case the date of birth are also same, then the candidate who passed matriculation exam earlier shall be considered first.

4.3 The shortlisted candidates would be subject to verification of all original testimonials and being found fit in appropriate Medical examination by Railways as applicable for the Workshop and for the other Units of division.

4.4 A registration number will be issued to each applicant during online application submission. Candidates are advised to save/note down their registration number for the next stage of recruitment process/correspondence.

5. Candidates have to choose either Nagpur Division or Motibagh Workshop.

1. Nagpur Division.
2. Motibagh, Workshop, Nagpur

6. TRAINING & STIPEND :

6.1 The training will be regulated according to standards/syllabus issued by Central Apprenticeship Council. The candidates undergoing training will be eligible for stipend as per prescribed rates.

6.2 The duration of training period will be 1 (one) year only.

7. MEDICAL FITNESS

Selected candidates may be advised to bring medical certificate at the time of joining in the prescribed proforma as per Apprenticeship Act 1961 and Para 4 of the Apprenticeship Rule 1992 (As amended from time to time). The Medical certificate should be signed by Government authorized Doctor (Gazetted), Not below the rank of Assistant Surgeon of Central/State Hospital.

8. EX-SERVICEMEN

8.1 Ex-Serviceman candidates selected under the reservation of 10% provided for them are to be placed in the appropriate category viz. UR/SC/ST/OBC to which they belong reservation to Ex-Serviceman, their children and children of armed forces personnel will be as per details mentioned below:-

- a) Children of deceased/disabled Ex-servicemen including those killed/disabled during peace time.
- b) Children of Ex-servicemen
- c) Children of Serving Officer
- d) Ex-servicemen
- e) Children of serving Jawan.

File No.SECR-NGP0PERS(GAEC)/27/2024-O/o Sr.DPO/NGP/SECR

8.2 The candidates who want to avail the benefit of reservation of Ex-servicemen and Armed Forces Personnel, must produce Discharge certificate and in case of children of Ex-servicemen and children of Armed Forces Personnel, they must produce discharge certificate or Armed Forces serving certificate respectively (as the case may be) of his/her parents at the time of document verification.

9. STANDARDS OF FITNESS FOR THE "DIVYANG" PERSONS

Divyang (PWBD) who want to avail benefit of reservation must produce a disability certificate issued by a competent authority (i.e. Medical Board duly constituted by the Central or State Government including one specialist in the particular field for assessing disability). Disability certificate should be as per Annexure III/IV/V/VI enclosed.

10 LAST DATE FOR SUBMISSION OF APPLICATION

The ONLINE application completed in all respect, can be submitted through online from **19-05-2026 to 18-06-2026 (till 23.59 hrs)**.

11 AGREEMENT OF TRAINING

11.1 Before commencement of the Apprenticeship training in the designated trade, the selected candidate has to enter into a Contract of Apprenticeship Training with the following provisions:

11.2 Where the Contract of Apprenticeship is terminated through failure on the part of the employer in carrying out the terms and conditions of the contract (as notified under the Apprenticeship Rules 1992), candidate will be paid apprentice compensation as prescribed.

11.3 In the event of premature termination of Contract of Apprenticeship for failure on the part of apprentice to carry out the terms and conditions of the contract (as notified under the Apprenticeship Rules 1992), the candidate/surety has to pay such amount as is determined by the Apprenticeship Adviser as and towards the cost of training.

11.4 It is not obligatory on the part of employer to offer any employment to the passed out trade apprentice on completion of the period of apprenticeship Training in his establishment nor shall it be obligatory on the part of the Apprentice to accept an employment under the employer.

11.5 In case the selected candidate is minor then, his/her guardian has to enter into a Contract of Apprenticeship with the employer.

12. IMPORTANT GENERAL INSTRUCTIONS

12.1 Applications must be submitted online only on the web address

<https://www.apprenticeshipindia.gov.in>

12.2 Candidate ITI marks and 10th Marks filled carefully when applying the application on NAPS portal (<https://www.apprenticeshipindia.gov.in>), if in downloaded excel file ITI marks and 10th marks not show the candidate will be **rejected**.

12.3 Before applying, the candidates should ensure that he/she fulfils the eligibility and other criteria. If erroneously engaged, such candidates shall be immediately dismissed without notice at any stage.

12.4 Candidature of the candidate shall be cancelled if he/she fails to produce the required original testimonials for verification or any other discrepancy noticed.

12.5 If it is noticed by the Railway administration that the candidate has furnished Wrong /fake Certificates/false certificates, the Railway administration reserves the right to discharge the candidate/selected candidate at any stage without any notice, even after his/her selection to undergo training. Further they may be liable for penal .

12.6 The Railway administrations do not undertake any responsibility for sending reply to the candidates not selected or not called for. No correspondence in respect of the application submitted shall be entertained or replied by this office to any individual or organization.

File No. SECR-NGP0PERS(GAEC)/27/2024-O/o Sr.DPO/NGP/SECR

12.7 The Engineering Graduate & Diploma Holder is not eligible to apply for apprenticeship in response to this notification as they are governed by a separate scheme of Apprenticeship.

12.8 No daily allowance/conveyance allowance or travelling allowance will be paid to the candidates called for document verification.

12.9 After selection for engagement, request of candidate to change the division/ unit will not be entertained.

12.10 No accommodation will be provided by Railway for apprentices. They will have to make their own arrangements.

12.11 While utmost care will be taken for finalizing the final list of eligible candidates, in case of any oversight the administration has the right to make changes at any level and decision of administration will be final and binding.

12.12 As per PCPO/SECR's letter No. P-HQ/RUL/101/10(E-50910) Dt. 13/02/2024 in para (5), "for UR post/quota, any candidate belonging to SC/ST/OBC/EWS/UR is selected as per merit, accordingly SC/ST/OBC/UR whosoever is available as per merit may be engaged against vacant EWS reserved post/quota".

12.13 If the option of EWS/Ex-Servicemen is not available on the portal, then apply on the portal from your actual category (eg.-UR, OBC, SC, ST) and sent/submit the EWS/Ex-Servicemen certificate physically to this office.

12.14 **Age relaxation is subject to submission of latest caste certificate (in central format) For (OBC) candidates only.**

Age relaxation is subject to submission of latest caste certificate (in central format) For (SC/ST) candidates only.

12.15 The candidates who had earlier done apprenticeship in any organization should not apply again for apprenticeship. If any such candidates found his candidature will not be entertained.

13 **HELP DESK**

In case of any query please contact this office during office hours (Monday to Friday in working day 10.00 AM to 17.30 PM) contact on mail mohd.2305@gov.in .

Office Address :- Divisional Personnel Office, Personnel Department, Kingsway, Nagpur-440001.

(Rajesh Prasad)
Digitally Signed by Rajesh Prasad
Assistant Personnel Officer-III
For Sr. Divisional Personnel Officer,
S.E.C. Railway, Nagpur
Date: 18-05-2026 12:23:57
Reason: Approved

No. P/NGP/SAS/2024/16

Date: 18.05.2026

Copy forwarded for information & necessary action to:-

- 1) District Employment Officer – Nagpur, Bhandara, Gondia, Chandrapur, Rajnandgaon, Mandla, Chhindwara, Seoni, Jabalpur & Balaghat – They are requested to advise the candidates to apply only online on the web address: <https://www.apprenticeshipindia.gov.in> (Estt Code E05202702695).
- 2) PCPO/SECR/BSP, CWM/WS/MIB/NGP – For kind information.
- 3) DC/SECRMC, DS,OBC & SC/ST Railway Employees Associations, SECR/NGP.
- 4) P.R.O. SECR/Nagpur 5) Notice Board.

For Sr. Divisional Personnel Officer
S.E.C.Railway, Nagpur